सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

अ.शा. पत्र संख्या डब्ल्यू-11011/06/2013-डब्ल्यूक्यू
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2014

प्रिय महोदया/महोदय,

मंत्रालय की ऑनलाइन आईएमआईएस पर 23 राज्यों ने सूचित किया है कि अधिकांश ग्रामीण विशेष रूप से फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और अन्य भारी/जहरीली मैटल और पेस्टीसाइड/फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण असुरक्षित पेयजल पीने का जोखिम उठा रहे हैं। इसकी भारत सरकार में उच्चतम स्तर पर समीक्षा की गई है और मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि अधिकतम मार्च, 2017 तक सभी प्रभावित ग्रामीण बसावटों में पीने एवं खाना पकाने के लिए सुरक्षित पेयजल का कम से कम 8 से 10 एलपीसीडी उपलब्ध कराया जाए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा जल गुणवत्ता शीर्ष के अंतर्गत फंड का उपयोग किया जाए।

2. सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की यह व्यवस्था या तो सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों को लगाकर या निकट सुरक्षित सतह/भू-जल स्रोत से पाइप जल आपूर्ति योजना के द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर की जाए। यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 50::50 के फंड शेयरिंग पैटर्न तथा उत्तर-पूर्व के राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 90:10 के फंड शेयरिंग पैटर्न पर लागू की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए 20% एनआरडीडब्ल्यूपी-डब्ल्यूक्यू फंड और 5% डब्ल्यूक्यू चिन्हित (रसायन) फंड का उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय ने डॉ. आर.ए. मशेलकर, एफआरएस, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर एवं भूतपूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर की अध्यक्षता में तकनीकीविदों (उत्पाद या फर्म/एजेंसियाँ नहीं) को पैनल में शामिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनाई है। समिति की अंतिम सिफारिशें राज्यों को बाद में भेजी जाएँगी जो केवल एक सुझाव देने वाली सूची हो सकती है और राज्य उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी अन्य तकनीक को अपना सकते हैं। यह भी वांछनीय है कि चुनी गई तकनीक सिद्ध होनी चाहिए और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, आईआईटी आदि जैसी सुविख्यात संस्थानों द्वारा इनको वैट किया गया हो। ''हैंड बुक ऑन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट टेक्नॉलोजिस'' पर दूसरे संस्करण को जिसे मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2013 में प्रकाशित किया गया था और सभी राज्यों को वितरित किया गया था, तकनीकियों के चयन में देखा जा सकता है। विशिष्ट संदूषणों को समाप्त करने के लिए चयन की जाने वाली तकनीकियों के चयन में एसएलएसएससी का निर्णय अंतिम होगा।

3. ग्रामीण बसावटों की न्यूनतम संख्या जिसे चालू वित्तीय वर्ष (मार्च, 2015 तक) के दौरान कवर किया जाना है, राज्य-वार तालिका नीचे दी गई है (अनुलग्नक पर विवरण उपलबध है)। तथापि राज्यों से निवेदन है कि वे ऐसी जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को ओर अधिक संख्या में कवर करें। 2015-16 के लिए लक्ष्य राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद जनवरी/फरवरी, 2015 में एएपी बैठकों के दौरान संप्रेषित किए जाएँगे।

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**वार्षिक लक्ष्य 2014-15 के लिए कार्य योजना**
1	आंध्र प्रदेश	166
2	बिहार	278
3	छत्तीसगढ़	31
4	गुजरात	14
5	हरियाणा	7
6	हिमाचल प्रदेश	1
7	जम्मू एवं कश्मीर	3
8	झारखंड	4
9	कर्नाटक	253
10	केरल	27
11	मध्य प्रदेश	239
12	महाराष्ट्र	74
13	ओडिशा	62
14	पंजाब	63
15	राजस्थान	1798
16	तमिल नाडु	6
17	तेलंगाना	262
18	उत्तर प्रदेश	59
19	उत्तराखंड	1
20	पश्चिमी बंगाल	394
21	असम	250
22	मणिपुर	1
23	त्रिपुरा	96

4. इस दौरान राज्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे इन फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी और जहरीले तत्वों, पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर प्रभावित बसावटों की स्थिति ऑनलाइन आईएमआईएस पर अद्यतन करें। उपरोक्त वर्तमान लक्ष्य इस तारीख का ऑनलाइन

आईएमआईएस में उल्लिखित बसावटों की कुल संख्या के एक निश्चित अनुपात पर आधारित है।

5. कृपया इसे नोट किया जाए कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है और इसे राज्य स्तर के साथ साथ मंत्रालय के स्तर पर लागू एवं बारीकी से मॉनिटर किया जाना है। अत: इन बसावटों के लिए योजनाओं और इन योजनाओं को शुरू करने के लिए अनुमोदन हेतु सभी संभव कदम उठाए जाएँ। यह नोट किया जाए कि सरकारें (केंद्रीय एवं राज्य) सामुदायिक जल ट्रीटमेंट के लिए और रोड/भवन, जहाँ आवश्यक हो, के लिए केवल पूँजीगत लागत ही उपलब्ध कराएँगी। राज्य सफल बोलीदाता, जो स्थानीय लोगों से जल प्रभार वसूल करके ओएंडएम प्रभार एकत्र करेगा, के साथ 10 वर्ष का एक परिचालन एवं रख-रखाव अनुबंध करेंगे। इन सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत फंड में कोई व्यवहार्यता अंतर नहीं होगा। विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएँगे।

सादर,

भवदीय,

(सत्यब्रत साहु)

सेवा में

राज्य के प्रधान सचिव/सचिव, प्रभारी-ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम-सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

Annexure

Arsenic, Fluoride and Heavy Metala contamination in India as on 1/10/2014- Action Plan and Targets for Coverage under NRDWP

Sl. No.	Name of State/ UT	Fluoride	Arsenic	Manganese	Copper	Aluminium	Mercury	Uranium	Lead	Cadmium	Chromium	Selenium	Zinc	Total	Action Plan for Annual targets		
				No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	No. of Habi-tations	habitations	2014-15	2015-16	2016-17
1	ANDHRA PRADESH	745	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	166	333	250
2	BIHAR	893	357	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1252	278	556	417
3	CHATTISGARH	132	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	141	31	63	47
4	GUJARAT	62	0											62	14	28	21
5	HARYANA	15	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	7	14	11
6	HIMACHAL PRADESH	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	2
7	JAMMU AND KASHMIR	2	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	10	3	4	3
8	JHARKHAND	12	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	18	4	8	6
9	KARNATAKA	1122	12	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1140	253	507	380
10	KERALA	102	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	123	27	55	41
11	MADHYA PRADESH	1055	0	12	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1075	239	478	358
12	MAHARASHTRA	307	0	22	1	2	0	0	0	0	0	0	0	332	74	148	111
13	ODISHA	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	62	124	93
14	PUNJAB	1	1	3	0	26	0	143	94	12	0	3	0	283	63	126	94
15	RAJASTHAN	7670	0	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7687	1708	3416	2562
16	TAMIL NADU	0	0	23	0	0	0	0	0	0	2	0	0	25	6	11	8
17	TELANGANA	1174	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1177	262	523	392
18	UTTAR PRADESH	180	73	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	264	59	117	88
19	UTTARAKHAND	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2
20	WEST BENGAL	251	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	144	289	217
21	ASSAM	128	424	570	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1125	250	500	375
22	MANIPUR	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1
23	TRIPURA	0	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	96	192	144
	TOTAL	14132	1991	1550	14	54	0	143	94	12	2	3	0	17995	4000	7998	5997

1) Data pertains to all Financial year since 2010-2011. Arsenic, Manganese, Copper & Aluminium count shown here also from 2010-2011 onward.

2) The figures indicated are as reported by States into IMIS as on 1/4/2014. There could be more habitations which may emerge with chemical contamination after testing in State/ district/ sub-divisional water quallity testing laboratories

3) The targets indicated above State-wise are the minimum number of habitations. All States are encouraged to take up more water quality affected habitations well before 2016-17.